भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1486
दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ

मणिपुर में पंचायत चुनाव

†1486. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मणिपुर में पिछले पंचायत चुनाव सितंबर 2017 में हुए थे और सितंबर 2022 तक फिर से चुनाव होने थे, जो अभी तक नहीं हुए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और प्रतिनिधित्व में एक अंतराल पैदा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन चुनावों में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) स्थानीय शासन के लिए संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने हेतु पंचायत चुनावों को शीघ्रता से कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास पंचायत चुनावों के समय पर आयोजन में बाधा डालने वाली चुनौतियों का समाधान करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 243ङ (1) में प्रत्येक पांच साल में पंचायतों के चुनाव कराने का प्रावधान है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 243ङ (3) में यह प्रावधान है कि किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन, उसकी पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व अथवा उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा किया जाएगा। इसलिए, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर कराना एक संवैधानिक आवश्यकता है। तदनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्य पंचायती राज कानूनों में पंचायतों के चुनाव कराने से संबंधित प्रावधान किए हैं।

मणिपुर राज्य में, पंचायतों के पिछले आम चुनाव (ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के लिए)अक्टूबर, 2017 में हुए थे और उन पंचायतों का कार्यकाल अक्टूबर, 2022 में पूरा हो गया है। उस समय तक, मणिपुर राज्य में दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली थी यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला

परिषद| उसके बाद, 20 फरवरी, 2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, मणिपुर पंचायती राज अधिनियम 1994 में "पंचायत समिति" (ब्लॉक पंचायत) का प्रावधान जोड़ा गया है।

मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि पंचायत समितियों के प्रशासन से जुड़े तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। मणिपुर में पंचायतों के लिए छठा आम चुनाव जून, 2023 में होने वाला था। हालांकि, राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण, छठे आम पंचायत चुनाव से संबंधित आगे की सभी प्रक्रियाएं निलंबित कर दी गईं हैं। दिनांक 27.09.2023 की राजपत्र अधिसूचना के तहत मणिपुर राज्य को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया था। वर्तमान में, दिनांक 13.02.2025 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।

पंचायत चुनाव आमतौर पर राज्यों के प्रशासनिक मुद्दों, अदालती मामलों, मुकदमों, पंचायतों के परिसीमन, पंचायतों में आरक्षण आदि के कारण लंबित होते हैं, जोकि राज्यों के ही दायरे में आते हैं। पंचायती राज मंत्रालय, समय-समय पर, राज्यों को पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए परामर्शिकाएं जारी करता रहता है।

मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए वह सक्रिय रूप से काम कर रही है। कानून एवं व्यवस्था तंत्र को मजबूत किया गया है और शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत का प्रयास किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने 18.12.2024 को मणिपुर सरकार को एक परामर्शिका जारी की है जिसमें मणिपुर में प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने और बिना किसी देरी के पंचायत चुनाव कराने का अनुरोध किया गया है।

******